

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 623 / 2011
संस्थान दिनांक 29.12.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

रामगीर पिता शिवगिर गोस्वामी, आयु 32 वर्ष
निवासी- पुरानी पोस्ट ऑफिस गली, ठीकरी
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 28.12.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 205/2011 अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 में दिनांक 29.12.2011 को प्रस्तुत अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 18.12.2011 को समय लगभग रात्रि 07:00 बजे लोक मार्ग ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटा बाबा की मेडी के पास वाहन ट्रेक्टर-ट्राली क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2529 में को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से आहत धर्मेन्द्र, परसराम, रूखडीबाई, केरीबाई एवं मसरीबाई को उपहति कारित करने तथा आहत वीरेन्द्र को घोर उपहति कारित करने के संबंध में धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में दिनांक 14.12.2015 फरियादी अनिल ने अभियुक्त से भा.द.स. की धारा 338 के अपराध के लिए राजीनामा किया है तथा आहतगणों के विरुद्ध किये गये भा.द.स. की धारा 279, 337, 338 के अपराध के लिए अभियुक्त का निर्णय पारित किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि थाने के प्रधान आरक्षक मुकेश कुमरावत को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 726/11 पर प्री.एम.एल. सी. जॉच हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा जॉच के दौरान आहतगण रूखड़ी, केरली, मसरीबाई, अनिल, विरेन्द्र, धर्मेन्द्र, परसराम के कथन लिये गये लिये गये जिसमें दिनांक 18.12.2011 को आहतगण खेत में से काम कर वापस घर टेक्टर-ट्राली से आत समय शाम लगभग 7:00 बजे टेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2529 के चालक रामगीर द्वारा टेक्टर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाया जिससे सेगवाल फाटे ए.बी. रोड़ ठीकरी बाबा की मेडी के पास टेक्टर ट्राली सहित पलटी खा गया जिससे गिरने से आहतगणों को चोंटे आई। पुलिस ने प्री.एम.एल.सी. की जॉच एवं कथनों के आधार पर अभियुक्त टेक्टर क्रमांक एम. पी. 46 ए. 2529 के चालक रामगीर के विरुद्ध थाने के अपराध क्रमांक 205/2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा0दं0सं0 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 6 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी धर्मेन्द्र की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त रामगीर से वाहन टेक्टर एवं ट्राली मय दस्तावेज तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी जप्त कर प्रदर्शपी 7 का जप्ती पंचनामा बनाया व पुलिस ने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। पुलिस ने चिकित्सक द्वारा आहतगण वीरेन्द्र एवं अनिल के एक्सरे में अस्थि भंग होना पाये जाने पर अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं0प्र0सं0 के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है ।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 18.12.2011 को समय लगभग रात्रि 07:00 बजे लोक मार्ग ए.बी. रोड़ सेगवाल फाटा बाबा की मेडी के पास वाहन टेक्टर-ट्राली क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2529 में को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावतेपन से चलाकर फरियादीगण का मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उलावलेपन से चलाकर आहत धर्मेन्द्र, परसराम, रूखड़ीबाई, केरीबाई एवं मसरीबाई को उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर तथा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर आहत वीरेन्द्र को घोर उपहति कारित की ?

6. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में परसराम (अ.सा.1), वीरेन्द्र (अ.सा.2) धर्मेन्द्र (अ.सा.3), रूखड़ीबाई (अ.सा.4), केरलीबाई (अ.सा.5), मुकेश कुमरावत (अ.सा.6), डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.7), डॉ. यशवंत कुमार शर्मा (अ.सा.8) एवं अनिल वर्मा (अ.सा.9) के कथन कराये गये हैं जबकि अभियुक्त की ओर उनकी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है, इस संबंध में फरियादी परसराम (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया है कि वह अभियुक्त को जानता है। घटना लगभग 3 माह पूर्व की है। वह तथा अन्य व्यक्ति ट्रेक्टर-ट्राली में मकान का सेंटिंग का सामान रखकर पुलिया से ठीकरी जा रहे थे। ट्रेक्टर को अभियुक्त चला रहा था। ट्रेक्टर सेगवाल फाटे के पास पलटी खा गया था। ट्रेक्टर चालक ने सामने से आ रही ट्रक को ओव्हरटेक करने में ट्रेक्टर पलटी खिला दिया था। उसे सिर एवं हाथ में चोट आई थी तथा अन्य व्यक्तियों को भी चोटें आई थी। उसका ईजाज पहले ठीकरी तथा उसके बाद धामनोद के अस्पताल में हुआ था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शनी 1 के कथन में मकान की सेंटिंग का सामान ले जाने की बात बताई थी।

8. वीरेन्द्र, असा 2, धर्मेन्द्र असा 3, रूखड़ीबाई असा 4, केरलीबाई असा 5 ने भी ट्रेक्टर-ट्राले की दुर्घटना में उनको चोटें आने के संबंध में कथन किये हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर उक्त सभी साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त ट्रेक्टर को अभियुक्त तेज गति एवं लापरवाही से चला रहा था, जिससे दुर्घटना कारित हुई थी।

9. मुकेश कुमरावत असा 6 का कथन है कि दिनांक 20.12.11 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी से वाहन दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के कथनों के आधार पर अभियुक्त रामगीर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 205/11 प्रदर्शपी 6 का दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी धर्मेन्द्र की निशांदाही से नक्शा मौका पंचनमा प्रदर्शपी 2 का बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आहत साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त के पेश करने पर उसने ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2829 तथा ट्राला क्रमांक एम.पी. 10 ए. 0787 दस्तावेजों सहित तथा अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 7 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि ट्रेक्टर यदि ट्राली से लगा हो तो वह प्रति घंटा 40 से 45 किलोमीटर चल सकता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने असत्य प्रकरण बनाया है।

10. डॉ. आर.एस. मुजाल्दा असा 7 ने दिनांक 18.12.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आहत रूखड़ीबाई, केरलीबाई, मसरीबाई, अनिल, वीरेन्द्र, धर्मेन्द्र एवं परसराम का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से चोट आना पाया था जो कि 2 घंटे के पूर्व की थी। साक्षी ने अपना मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 भी प्रमाणित किया है।

11. डॉ. यशवंत कुमार शर्मा असा 8 ने दिनांक 18.12.2011 को व्यंकटेश अस्पताल धामनोद में आर्थोपेडिक पद पर पदस्थ होने तथा आहत वीरेन्द्र, अनिल, परसराम, रूखड़ीबाई, मसरीबाई एवं केरलीबाई को ईलाज के लिए भर्ती होने और उनका एक्सरे परीक्षण करने पर आहत वीरेन्द्र पिता मुरारीलाल को दाहिने हाथ की रेडियस हड्डी, अनिल का एक्सरे परीक्षण करने पर दाहिने हाथ की 5 वीं अंगुली में अस्थि भंग की चोट होना पाया था। साक्षी ने शेष आहत साक्षियों को अस्थि भंग की चोट नहीं होना बताया था तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 10 लगायत 23 भी प्रमाणित किये हैं।

12. उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षियों का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया। परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को तेज गति एवं लापरवाही से ट्रेक्टर चलाकर दुर्घटना कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यहाँ तक कि परसराम असा 1 के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी ने अभियुक्त द्वारा घटना के समय वाहन चलाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये हैं। परसराम असा 1 का यह कथन यह कथन नहीं है कि अभियुक्त द्वारा लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से ट्रेक्टर चलाकर उसमें बैठे व्यक्तियों का जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उपहति एवं घोर उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 279, 337, 338 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त रामगीर के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतः अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुये धारा 279, 337, 338 भा0द0सं0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 46 ए. 2529 दिनांक 02.01.2012 को उसके पंजीकृत स्वामी सुधीर पिता कैलाशचन्द्र कुमरावत निवासी ठीकरी एवं ट्राली क्रमांक एम.पी. 10 ए 0787 को उसके पंजीकृत स्वामी गजानंद पिता रामचन्द्र कुमरावत निवासी टांडा बरूड़ जिला खरगोन म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये हैं, उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी